

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी , नरसिंहपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की क्रियान्वयन के संबंध में

बिन्दु क० 1 –संगठन कार्य एवं कर्त्तव्यों का व्यौरा :-

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत जिला के समस्त स्कूल (कक्षा 1 से 12 वीं तक) के संचालन की व्यवस्था दी गई है।

कार्य:-

1. कक्षा 1 से 12 तक समस्त शासकीय विद्यालयों का निरीक्षण
1. समस्त अषासकीय विद्यालयों की मान्यता एवं निरीक्षण – मान्यता अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत आते हैं।
2. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी वार्षिक शैक्षणिक कलेण्डर के अनुसार क्रियान्वयन

कर्त्तव्य:-

विद्यालयों में चल रहें समस्त क्रिया-कलाप योजनाओं , शैक्षणिक गतिविधियों शालेय पाठ्येत्तर गतिविधियों का संचालन एवं क्रियान्वयन तथा मार्गदर्शन ।

बिन्दु क० 2 – अधिकारियों , कर्मचारियों के कर्त्तव्य एवं अधिकार –

जिला शिक्षा अधिकारी:- जिला स्तर पर विभाग प्रमुख की हैसियत से कार्य करता है एवं शासन द्वारा निर्धारित कार्य एवं योजनाओं का क्रियान्वयन करता है।

संस्था प्रमुख के दायितव कर्त्तव्य एवं अधिकार:- स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत

1. कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक संस्था प्रमुख के दायित्वों का निर्वहन करता है।
2. कक्षा 6 से 8 तक मिडिल विभाग में प्रधान पाठक संस्था प्रमुख के दायित्वों का निर्वहन करता है।
3. कक्षा 9 से 10 हेतु हाईस्कूल प्राचार्य संस्था प्रमुख के दायित्वों का निर्वहन करता है।
4. कक्षा 9 से 12 हेतु हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में प्राचार्य संस्था प्रमुख के दायित्वों का निर्वहन करता है।

दायित्व:-

विभागाध्यक्ष आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म० प्र० भोपाल द्वारा जारी वार्षिक कलेण्डर के अनुरूप शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियां तथा क्रीडा स्काउट रेड क्रॉस साहित्यक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन किया जाता है।

छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्ययोजना तथा शालेय कलेण्डर तैयार कर उसका क्रियान्वयन अपने अधीनस्थ शिक्षकों के साथ मिलकर शैक्षणिक वातावरण तैयार करना।

बिन्दु क0 3 – निर्णय लेने की प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण तथा लेखा जोखा शामिल है :-

1. जिला स्तर जिला शिक्षा अधिकारी नीतिगत मामलों में निर्णय लेने हेतु सक्षम अधिकारी है।
2. शालाओं में प्रवेश हेतु शासकीय नियमों के अनुसार प्रधान पाठक प्राचार्य सक्षम अधिकारी है।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिले में स्थित समस्त शासकीय अशासकीय विद्यालयों के पर्यवेक्षण हेतु सक्षम अधिकारी है।
4. संकुल प्राचार्य अपने अधीनस्थ संकुल अंतर्गत आने वाली समस्त प्राथमिक / माध्यमिक शालाओं के पर्यवेक्षण हेतु सक्षम अधिकारी है।

लेखा जोखा:-

1. उपसंचालक लोक शिक्षण संचालनालय म0 प्र0 भोपाल द्वारा छात्रवृत्ति / शिष्य वृत्ति का लेखा जोखा 30 अप्रैल तक प्रकाशित किया जाता है।
2. अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की छात्र छात्राओं को वितरित गणवष का विवरण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा माह नवम्बर के अंत तक प्रकाशित किया जाता है।

बिन्दु क0 4 :- कर्तव्यों के निर्वहन के लिए तय किये गये मापदंड –

शासन द्वारा समय समय पर प्राप्त आदेशों एवं निर्देशों का नियमानुसार निर्धारित समय सीमा में पालन किया जाता है।

बिन्दु क0 5 :- कर्मचारियों के उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियम विनियम निर्देश मनुअल तथा अभिलेख जो संधारित किये गये है :- हां

बिन्दु क0 6 :- नियंत्रण में रखे गये दस्तावेजों का कमवद्ध प्रपत्र – हां रखे गये है।

बिन्दु क0 7 :- इसके प्रबंधन तथा नीति निर्धारण के बारे में जनसाधारण से विचार विर्मष या उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विचार के लिए की गई व्यवस्था का विवरण:- हां संबंधितों को शासन के नियमानुसार अभिलेखों को प्रमाणित छायाप्रति निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराई जाती है।

बिन्दु क0 8 :- दो या दो से अधिक सदस्यां वाले बोर्ड काउंसिल कमेटी तथा अन्य निकाय जिनका गठन सलाहकार के रूप में किया गया है ये बोर्ड काउंसिल कमेटी या अन्य निकाय की बैठके जनसाधारण के लिए सुलभ है और क्या इनकी कार्यकाही टीप जनता को उपलब्ध होती है :- हां नियमानुसार समितियों बोर्डों कमटियों का गठन किया जाता है। समय समय पर इनकी बैठके आयोजित की जाती है एवं बैठकों का कार्यवाही विवरण सर्वसंबंधितों को जारी किया जाता है।

बिन्दु क0 9 :- इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों के दूरभाष की सूची :- हां कार्यालय में उपलब्ध रहती है।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय – 07792–230385
निवास – 07792–230385
सहासंचालक कार्यालय – 07792–230385
डॉ. आर. एस.शर्मा , निवास – 07792–232399

कार्यालय के कर्मचारियों के दूरभाष की सूची :-

क्र०	नाम	पद	कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	जे.पी.शर्मा	बी.ई.ओ.नरसंहपुर	230913	231725	
2	ए.के.व्योहार	बी.ई.ओ.करेली			9425467763
3	अनूप शर्मा	बी.ई.ओ.चीचली		258453	201283 wll
4	मुकेश श्रीवास्तव	बी.ई.ओ.चावरपाठा	275538	252188	
5	एस.डी.वर्मा	बी.ई.ओ.गोटेगांव			202428 wll
6	बी.एस.कौरव	बी.ई.ओ.साईखेडा	255770	258595	
7	सुश्री जयश्री पिल्लई	प्राचार्य	231297	232406	9425168604
8	एस.के.मिश्रा	प्राचार्य	231088	232266	
9	बी.एस.जैन	प्राचार्य		232079	
10	जी.के.वर्मा	प्राचार्य	232021	231383	
11	गीता दुबे	प्राचार्य	236245		
12	एम. एस.जायसवाल	प्राचार्य			
13	जे.डी. गढेवाल	प्राचार्य		232819	
14	के.व्ही. थत्ते	प्राचार्य		232249	
15	सी.आर.कौरव	प्राचार्य	275538	270627	213098 wll
16	आर.एम.एस.ठाकुर	प्राचार्य	274149	232780	9893208780
17	बी. एस. शर्मा	प्राचार्य			9425468802
18	सी.एल. मेहरा	प्राचार्य	274031		
19	प्राचार्य बा.उ.मा.वि. करकबेल	प्राचार्य	260664		
20	जे.एस.बरकडे तेन्दूखेडा	प्राचार्य	252122		
21	एस. के. शर्मा	प्राचार्य		230091	
22	सी.एस.राजपूत	जिला क्रीडा अधि०	230385		

बिन्दु क० 10 :- इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मिलने वाला मासिक मानदेय जिसमें नियमों में प्रावधानिक मुआवजा भी शामिल है :- नहीं किसी प्रकार को कोई मानदेय आदि नहीं दिया जाता है।

बिन्दु क० 11 :- इसकी प्रत्येक एजेंसी को दिया जाने वाला बजट जिसमें प्लान प्रस्तावित व्यय तथा किये गये भुगतान का प्रतिवेदन शामिल है :- मानदेय / मुआवजा आदि नहीं दिये जाने के कारण बजट प्लान आदि तैयार नहीं किये जाते ।

बिन्दु क० 12 :- अनुदान कार्यक्रमों के क्रियान्वयनों की प्रणाली जिसमें प्रावधानित राशि तथा ऐसे कार्यक्रमों में संभावित हितग्राहियों का विवरण :- आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म० प्र० भोपाल द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जैसे बुकबैंक योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र छात्राओं को निषुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण तथा कक्षा 9 से 12 तक एस. सी. एस. टी के छात्र छात्राओं को निषुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण , बालिका शिक्षा प्रोत्साहन एवं बिकलांग छात्र छात्राओं को साईकिलों का वितरण शासन के नियमानुसार करने हेतु प्राप्त अनुदान के अनुसार वितरण किया जाता है।

बिन्दु क० 13 :- रियायत परमिट या अधिकार पत्र जो प्रदान किये गये हैं उसका विवरण :- शालेय शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासन के नियमानुसार किसी प्रकार की कोई रियायत परमिट या अधिकार पत्र प्रदाय नहीं किये जाते हैं।

बिन्दु क० 14 :- इसके पास उपलब्ध जानकारियां का विवरण जिसे इलेक्ट्रानिक प्रपत्र में बनाया गया है :- रियायत आदि प्रदान नहीं करने के कारण उक्त प्रपत्र नहीं बनाया गया ।

बिन्दु क० 15 :- जनसाधारण को जानकारी प्राप्त करने के जो सुविधाये उपलब्ध है उनका विवरण जिसमें लाइब्रेरी रीडिंग रूम के कार्य के घंटे यदि वे कार्यरत हो तो :- सूचना के अधिकार के तहत जनसाधारण को उनकी मांग के अनुसार शासन के नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा कर उपलब्ध जानकारी / अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रतियां निर्धारित समय सामा में प्रदाय की जाती है।

हां कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ जिला ग्रंथालय स्थापित है जिसमें समस्त सुविधायें उपलब्ध है पाठकों को उपलब्ध पत्र पत्रिकाये पुस्तके आदि उपलब्ध कराई जाती है। जिला ग्रंथालय में एक ग्रंथपाल तथा भृत्य कार्यरत है ग्रंथालय में रीडिंग रूम भी है जहां पाठको द्वारा अध्ययन किया जाता है। ग्रंथालय सुबह 7:30 से 10:30 एवं शाम 4:30 से 7:30 बजे तक खुलता है ।

बिन्दु क० 16 :- जनसंपर्क अधिकारियों के नाम पदनाम तथा अन्य विवरण :- जिला ग्रंथालय में कार्यरत ग्रंथपाल श्रीमती हर्षिता राव कार्यरत है।

बिन्दु क० 17 :- अन्य जानकारी जो निर्धारित की जावेगी :- शासन की मंषा अनुसार वरिष्ठ कार्यलयों से समय समय पर प्राप्त आदेशों निर्देशों का पालन किया जावेगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
नरसिंहपुर